संपादकीय जागरण

गुरुवार, 25 अक्टूबर, 2018 : कार्तिक कृष्ण 1 वि. 2075

आत्मबल सत्य-आचरण से ही संभव है

झगड़ालू अफसरों की छुट्टी

सीबीआइ के दो शीर्ष अधिकारी जिस तरह एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने और शह-मात का खेल खेलने में लगे हुए थे उसे देखते हुए इन दोनों को छुट्टी पर भेजने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था। ऐसा कोई फैसला इसलिए और आवश्यक हो गया था, क्योंकि सीबीआइ की बची-खुची साख मिट्टी में मिल रही थी और सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई थी। चूंकि सीबीआइ के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए इसलिए दोनों की जांच जरूरी हो गई थी। ऐसी कोई जांच तभी हो सकती थी जब उन्हें उनके काम से दूर किया जाता। सरकार ने ऐसा ही किया और आपस में उलझे दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेजकर अंतरिम निदेशक की नियुक्त कर दी। सीबीआइ निदेशक को छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले का इस आधार पर विरोध का कोई मतलब नहीं कि उसका कार्यकाल तो तय होता है। निःसंदेह ऐसा ही होता है, लेकिन क्या इसका यह अर्थ भी है कि उस पर चाहे जैसे आरोप लगें उसे उसके पद पर बनाए ही रखा जाएगा? पता नहीं कैसे कुछ लोग इस नतीजे पर पहुंच गए कि विशेष निदेशक पर लगे आरोप तो सही हैं, लेकिन निदेशक जिन आरोपों से दो-चार हैं उनकी कोई अहमियत नहीं। क्या अभी ऐसे कोई साक्ष्य सामने आए हैं जिनसे एक अधिकारी को तो दूध का धुला और दूसरे को दागदार मान लिया जाए?

यह किसी भी दृष्टि से आदर्श स्थिति नहीं कि जहां सीबीआइ के विशेष निदेशक अपने खिलाफ कार्रवाई के विरोध में उच्च न्यायालय के समक्ष नजर आ रहे हैं वहीं निदेशक खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की शरण में हैं। पता नहीं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इन दोनों के मामलों की सुनवाई करते हुए किस नतीजे पर पहुंचेंगे, लेकिन अगर उनके फैसलों से कलह शांत नहीं होती तो फिर सीबीआइ की साख को बहाल करना मुश्किल होगा। कहना कठिन है कि अदालतों का हस्तक्षेप वैसी परिस्थितियां पैदा करता है या नहीं जैसी सरकार चाह रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसके लिए वांछित फैसले लेने में मुश्किल पेश आ सकती है। जो भी हो, सीबीआइ में छिड़ी शर्मनाक रार से यह साफ हो गया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी भूमिका का निर्वाह सही से नहीं कर सका। आखिर जब वह सीबीआइ निदेशक और विशेष निदेशक के बीच चल रही उठापटक से अवगत था तो फिर उसने समय रहते हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्या ऐसा इसलिए हुआ कि वह हस्तक्षेप करने में समर्थ ही नहीं? यह वह सवाल है जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सच तो यह है कि सरकार को सीबीआइ के ढांचे और उसकी कार्यप्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने पर भी विचार करना चाहिए ताकि फिर कभी वैसी स्थिति न बने जैसी अभी बनी और जिसके चलते जनता को यह संदेश गया कि देश की शीर्ष जांच एजेंसी में सब कुछ ठीक नहीं। चूंकि लोकतंत्र की साख उसकी सक्षम संस्थाओं से ही बढ़ती है इसलिए सीबीआइ और ऐसी ही अन्य संस्थाओं का भरोसेमंद होना आवश्यक है।

बेहतर इलाज की कोशिश

जब मरीज के बेहतर इलाज की बात होती है, तो हर आमोखास के दिमाग में एम्स दिल्ली की तस्वीर उभरती है। एम्स ने यह भरोसा यूं ही नहीं कमाया है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। प्रदेश में अब इसी तर्ज पर राजधानी लखनऊ स्थित पीजीआइ भी आगे बढ़ रहा है। जब प्रदेश के अन्य सरकारी अस्पताल या बड़े से बड़े नर्सिंग होम हाथ खड़े कर देते हैं तो लोगों को पीजीआइ ही याद आता है। इन दिनों मुख्यमंत्री के पास जरूरतमंदों की सबसे ज्यादा सिफारिशें पीजीआइ में भर्ती कराने के लिए आ रही हैं। सिफारिशें बढ़ने की वजह है कि लोगों को जितनी उम्मीदें पीजीआइ से हैं, उसके लिहाज से वहां संसाधनों की कमी है। चाहे वह बेड की कमी हो या कुछ खास गंभीर बीमारियों के लिए अभी अपेक्षानुरूप व्यवस्था न हो पाना।

पीजीआइ की मौजूदा सीमाओं, आम जनता की जरूरतों और अपेक्षाओं को योगी सरकार भी समझ रही है

पीजीआइ की मौजूदा सीमाओं, आम जनता की जरूरतों और अपेक्षाओं को योगी सरकार भी समझ रही है। अब पीजीआइ के विस्तार के प्रयास तेज हो गए हैं। अभी तक यहां 985 बिस्तरों की ही सुविधा थी, जिसे बढ़ाकर ढाई हजार किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी मेडिसिन सेंटर व किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर का शिलान्यास और हिमेटोलॉजी विभाग व लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर का लोकार्पण किया है। पीजीआइ फेस-2 के महत्वाकांक्षी कार्यों के लिए 473 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जो ऋण के रूप में भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त किया जाएगा। इस ऋण की गारंटी राज्य सरकार ले रही है। पीजीआइ के यूरोसर्जरी विभाग में छह महीने के अंदर प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी करने की तैयारी कर ली गई है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या करोड़पति करदाताओं की संख्या में इजाफा देश की तरक्की की सही तस्वीर पेश करता है?

आज का सवाल

क्या सीबीआइ विवाद में जांच पूरी होने तक दोनों शीर्ष अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने का सरकारी फैसला सही है?

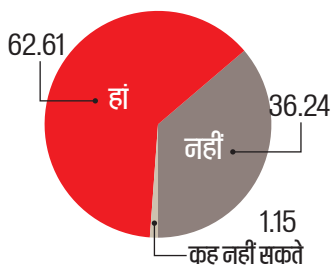

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

खतरनाक परिपाटी की शुरुआत

विवेक काटजू

इस्तांबुल स्थित सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में सऊदी मूल के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक तंत्र के लिए भी एक बड़ा आघात है

अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद सऊदी अरब ने आखिरकार 17 दिन बाद यह मान लिया कि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या इस्तांबुल स्थित उसके वाणिज्य दूतावास में 2 अक्टूबर को हुई थी। इसके बाद खशोगी के शरीर के अवशेष सऊदी राजदूत के घर के परिसर में मिलने की भी खबर आ गई। खशोगी अनुभवी और ख्याति प्राप्त पत्रकार थे। सऊदी शाही खानदान के कुछ सदस्यों के साथ उनके बढ़िया संबंध थे। वह ब्रिटेन में सऊदी अरब के राजदूत रहे प्रिंस तुर्की बिन फैसल के मीडिया सलाहकार भी रह चुके थे जो लंबे समय तक सऊदी खुफिया सेवा के प्रमुख भी रहे। खशोगी मौजूदा शहजादे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की घरेलू और विदेश नीतियों के कड़े आलोचक थे। धमकियों के चलते वह पिछले साल सऊदी अरब छोड़कर अमेरिका चले गए थे और प्रभावशाली अखबार 'द वाशिंगटन पोस्ट' के स्तंभकार बन गए थे। पिछले एक वर्ष के दौरान वह शहजादे प्रिंस मोहम्मद की एक अड़ियल तानाशाह के रूप में आलोचना करते हुए यह लिख रहे थे कि वह असहमति रखने वालों को जेल में डाल देते हैं। तुर्की मूल की अपनी मंगेतर से शादी करने के लिए खशोगी को अपने तलाक संबंधी दस्तावेज की जरूरत थी जिसे लेने के लिए वह 28 सितंबर को इस्तांबुल स्थित सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास गए थे। तब उन्हें दोबारा आने के लिए कहा गया। सऊदी अरब सरकार का कहना है कि जब खशोगी 2 अक्टूबर को वाणिज्य दूतावास आए तो कथित संदिग्ध तत्वों और उनके बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि उसमें उनकी मौत हो गई। यह भी कहा गया कि संदिग्ध तत्व इस्तांबुल गए ही इसलिए थे, क्योंकि खशोगी के वापस सऊदी अरब लौटने की संभावना थी। अब यह साफ है कि यह सब सच नहीं था। इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट पर यकीन करें तो खशोगी को ठिकाने लगाने के लिए सऊदी अरब सरकार के 15 अधिकारी इस्तांबुल गए थे। अभी यह स्पष्ट नहीं कि आदेश उनकी हत्या का था या फिर उन्हें वापस सऊदी अरब लाने का? यह भी स्पष्ट नहीं कि यह आदेश शहजादे का था या फिर उनके किसी वरिष्ठ अधिकारी का। खैर इस सनसनीखेज प्रकरण के बाद शहजादे के दो वरिष्ठ सहयोगियों की छुट्टी कर दी गई है। हालांकि इस कार्रवाई से भी अमेरिका और यूरोप जैसे प्रभावशाली तबके संतुष्ट नहीं हैं और वे चाहते हैं कि पूरे मामले में शहजादे की भूमिका स्पष्ट की जाए।

यह कोई सामान्य हत्या का मामला नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका की घरेलू राजनीति से भी इसका गहरा सरोकार है। सऊदी अरब में ट्रंप परिवार के कारोबारी हितों और राष्ट्रपति के दामाद जैरेड कुशनर और शहजादे के बीच घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए भी इस मामले की अपनी अहमियत है। इस मामले ने ट्रंप को इतना रक्षात्मक बना दिया कि उन्हें अपने विदेश मंत्री माइक पोंपिओ को सऊदी अरब और तुर्की भेजकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। अमेरिका-सऊदी और सऊदी-तुर्की रिश्तों के लिहाज से इस मामले के अंतरराष्ट्रीय राजनयिक निहितार्थ भी हैं। यह मामला अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए भी एक बड़ा आघात है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही सऊदी अमेरिका का प्रगाढ़ साझीदार बना हुआ है। फिलहाल ट्रंप ईरान पर निशाना साध रहे हैं उसे देखते हुए अमेरिका के लिए सऊदी की महत्ता और बढ़ गई है। एक तो इस वजह से और दूसरे विपुल संपदा के कारण सऊदी अरब के संदिग्ध मानवाधिकार रिकॉर्ड की कभी गंभीरता से पड़ताल नहीं की गई। शहजादे प्रिंस मोहम्मद को बड़े सुधारक के रूप में महिमामंडित किया जाता है, लेकिन जैसा कि खशोगी कहते थे उससे यह भी स्पष्ट है कि वह अपने आलोचकों को निपटाने में भी जुटे हुए हैं। पहले भी यूरोप में रह रहे शाही खानदान के विद्रोही लोगों को तलब कर सऊदी अरब लाया जा चुका है।

खशोगी मामले में सऊदी अरब ने दूतावास परिसरों और राजनयिक छूट के सभी अंतरराष्ट्रीय प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया। ये परिसर जिस देश में मौजूद होते हैं उन पर सामान्य रूप से उन देशों के कानून लागू नहीं होते, लेकिन उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे स्थानीय नियम-कानूनों का सम्मान एवं पालन करें। दूतावास के मुकाबले वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को तो पूरी राजनयिक छूट भी नहीं मिली होती है। गंभीर अपराधों में तो कोई छूट ही नहीं दी जाती। अगर तुर्की चाहता तो सऊदी अधिकारियों को अपने देश से निकलने की ही इजाजत नहीं देता। वह पुलिस को स्पष्ट आदेश देकर इस मामले की गहन पड़ताल करने के लिए कह सकता था। अगर तुर्की ने संदिग्ध सऊदी अधिकारियों को जाने दिया तो इसका अर्थ है कि कड़ी बयानबाजी के बावजूद दोनों देशों के बीच सौदेबाजी की कोई खिचड़ी भी पक रही है।

इस अंदेशे के बावजूद तुर्की के जांच अधिकारियों को सऊदी वाणिज्य दूतावास और आवासीय परिसर में प्रवेश की अनुमति सऊदी अरब को असहज करने वाली रही। तथ्य यह भी है कि खशोगी की मौत और उससे पहले उन्हें प्रताड़ित करने के जो संदेह सामने आ रहे थे उसे देखते हुए तुर्की के पास अपने अधिकारियों को सऊदी वाणिज्य दूतावास में प्रवेश की अनुमति देने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। जासूसी से जुड़े मामलों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने एक तंत्र अवश्य विकसित किया है, लेकिन दूतावास परिसरों में सुनियोजित तरीके से हिंसा एकदम अस्वीकार्य है, क्योंकि इससे राजनयिक छूट वाले तंत्र के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। यह जरूरी है कि सऊदी अरब खशोगी की हत्या से जुड़े सभी तथ्यों को उचित रूप से सामने रखे। अंतरराष्ट्रीय राजनय की सेहत के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय राजनयिक समझौतों का सम्मान बेहद जरूरी है। विडंबना यह है कि कई देशों के राजनयिक इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कुख्यात हैं। पाकिस्तान ऐसा ही देश है जहां कुछ खास देशों के राजनयिकों के साथ दुर्व्यवहार होता है। भारतीय राजनयिकों और उनके परिवारों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां प्रताड़ित करती हैं। उनका पीछा करने से लेकर उन्हें धमकी भी दी जाती है। अतीत में राजनयिकों के खिलाफ हिंसा के मामले भी सामने आए हैं।

यह भी चिंताजनक है कि चीन के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी मेंग होंगवेई जो अभी हाल में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए थे, कुछ दिन पहले चीन में लापता हो गए। दो हफ्तों तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। इस महीने की शुरुआत में चीन ने एलान किया कि मेंग भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए गए हैं और उन्होंने ईमेल से अपना इस्तीफा भेज दिया है, लेकिन उनकी पत्नी को संदेह है कि कहीं उनकी हत्या तो नहीं हो गई। ऐसे वाकयों से अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भरोसा कम होगा। आतंकवाद और अपराध से लड़ने और कूटनीति को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी देश अंतरराष्ट्रीय समझौतों का सम्मान और पालन करें। अन्यथा खशोगी और मेंग सरीखे मामले और पाकिस्तान का मनमाना रवैया अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक तंत्र को अराजक ही बनाएगा।

(लेखक विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

त्रासदी में तब्दील होती कर्तव्यहीनता

जगमोहन सिंह राजपूत

आज की विडंबना यह है कि नियमों के उल्लंघन में पढ़े-लिखे और अनपढ़ों में कोई अंतर नहीं दिखता

अमृतसर की भयावह दुर्घटना के कारण इस बार दशहरे का सारा हर्ष-उल्लास कुछ क्षणों में राष्ट्रव्यापी दुख और उदासी में बदल गया। रेल पटरियों के किनारे रावण दहन देख रहे लोगों के साथ जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्य से कुछ दिनों बाद भुला दिया जाएगा। केवल वे परिवार जिन्होंने अपने लोगों को खोया न केवल उन भीषण क्षणों को याद रखेंगे वरन दुर्घटना के परिणाम जीवन भर झेलते रहेंगे। सरकारी कार्रवाई कुछ दिनों बाद धीरे-धीरे फाइलों में बंद होकर रह जाएगी। आम धारणा है कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और कोई दोषी नहीं पाया जाएगा। अपने देश में नेताओं, नौकरशाहों और जनता के बीच इतना अविश्वास बढ़ गया है कि लोग ऐसे मामलों में न्याय की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। अमृतसर की दुर्घटना में प्रशासनिक लापरवाही और संवेदनहीनता के एक के बाद एक तथ्य सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी तेजी से उनके खंडन भी आ रहे हैं। नेता अपनी प्रकृति के अनुसार बयान दे रहे हैं कि इस दुर्घटना का राजनीतिकरण न किया जाए, मगर इसी के साथ वे राजनीतिक बयान भी दे रहे हैं और एक-दूसरे पर दोषारोपण भी कर रहे हैं। दो अन्य मामले वर्तमान स्थिति को पूरी तरह उजागर कर देते हैं।

कुछ दिन पहले लखनऊ में एक पुलिस वाले ने एक युवक की हत्या कर दी। घोर जनाक्रोश उभरते ही सरकार हरकत में आई। इसी के साथ इस अपराधी पुलिस वाले के कई विभागीय सहयोगी उसके समर्थन में खड़े हो गए। वे अपने कार्यस्थल पर काला बिल्ला लगाकर आए और उन्होंने उसे बचाने के लिए धन एकत्र करना भी प्रारंभ कर दिया। पुलिसबल में अनुशासन का स्तर कहां तक गिरा है, यह उसका एक उदाहरण है। यदि अमृतसर में पुलिस व्यवस्था अपने आंख-कान खुले रखती तो शायद स्थिति कुछ और होती। दूसरा उदाहरण उन मौतों का है जो सीवेज साफ करते समय होती हैं। अपने देश आए दिन रह-रह कर सफाई कर्मी सीवर साफ करने के दौरान जान गंवाते हैं। हर बार एक-दूसरे पर दोषारोपण ही अधिक सुनने को मिलता है। नेता दलगत आधार पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में बढ़ चढ़ कर प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसी कारण सीवर साफ करने के क्रम में सफाईकर्मी अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों पर किसी को कोई दंड नहीं मिलता और न कोई उच्च अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेता है।

क्या अमृतसर हादसे में किसी ने अपनी जिम्मेदारी ली? वैसे तो सभी नेता और दल यही कहते हैं कि वे कतार के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए ही सेवारत हैं, लेकिन यथार्थ में ऐसा मुश्किल से ही दिखता है। यह अभी से दिख रहा है कि कुछ ही महीने में अमृतसर हादसे को भुला दिया जाएगा और हादसे के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी-अपनी जगह पर अपने-अपने अधिकारों का आनंद लेते दिखाई देंगे। क्या यह वही देश है जिसमें केशव देव मालवीय, टीटी कृष्णमचारी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने तब इस्तीफा दे दिया जब सभी मानते थे कि वे किसी अनैतिक कार्य में लिप्त नहीं थे?

कहां से चलकर हम कहां पहुंच गए हैं, यह इसी से जाहिर हो जाता है कि अब कोई अपनी जिम्मेदारी ही नहीं लेता और इसीलिए किसी के इस्तीफे का प्रश्न नहीं उठता। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। भविष्यद्रष्टा गांधी जी ने 1922 में आने वाले समय का एक खाका खींचते हुए लिखा था कि यदि स्वराज आज आ जाए तो भी मेरे लोगों को कोई खुशी नहीं मिलेगी। चार व्यवस्थाएं उन पर भारी पड़ेंगी- चुनावों के दोष, अन्याय, प्रशासन का बोझ और रसूख वालों का अत्याचार। आज सरकारी व्यवस्था से बाहर ऐसा कौन है जो इन चारों के शिकंजे से बच सका हो? जो समर्थ और साधन संपन्न हैं वे नियम-कानून की धज्जियां उड़ाना अपना अधिकार मानते हैं। उनके सहयोग से सत्ता तक पहुंचने वाले उनका संबल बन जाते हैं। ऐसे लोग कभी-कभार कानून के शिकंजे में आ भी जाएं तो उनका पहला बयान यही होता है कि मेरे खिलाफ राजनीतिक कारणों से बदले की कार्रवाई हो रही है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, नामी गिरामी बिल्डर्स से लेकर वाड्रा, चिदंबरम आदि के उदाहरण हमारे सामने हैं।

सुस्त, संवेदनहीन, स्वार्थपरक और स्वकेंद्रित कार्यसंस्कृति ही अमृतसर जैसे हादसों का कारण बनती है। आश्चर्य यह है कि ऐसा तब है जब देश की मूल संस्कृति कर्तव्य परायणता को जीवन में शीर्ष स्थान पर रखती है। जन्म लेते ही तीन ऋण हर व्यक्ति के हिस्से में आ जाते हैं- पित्र ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। सफल जीवन वही माना जाता है जो इन तीनों से उऋण होने में लगाया गया हो। महाभारत के शांति पर्व में मानव ऋण का भी वर्णन है। अन्य की सेवा को श्रेष्ठतम कार्य मानने वाली सभ्यता आज कर्मठता और कर्तव्य निर्वहन में इतने नीचे कैसे आई, इसका गहन विश्लेषण होना ही चाहिए। वैसे आज यदि कोई अध्यापक छात्रों से या कोई प्रशिक्षक सरकारी कर्मियों से उक्त तीनों ऋण की चर्चा करने का साहस करे तो शायद उसे सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाए, क्योंकि इस तीनों का उल्लेख उन ग्रंथों में है जिन्हें धर्म विशेष से जोड़कर ही देखा जाने लगा है।

भारतीय समाज की कर्तव्यनिष्ठा का सबसे सटीक उदाहरण हमारे संविधान निर्माताओं की सोच से उजागर होता है। संविधान में मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन तीसरे भाग में है। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न पूछा जाता है कि कर्तव्यों को उतना ही महत्व क्यों नहीं दिया गया? इसका उत्तर शायद यह है कि हमारे समाज में कर्तव्यनिष्ठा का पाठ तो प्रारंभ से ही बच्चे के सम्मुख उभरता रहता था। वह देखता था कि बड़े किस प्रकार अपने-अपने कर्तव्य निर्वहन में कर्मठता से संलग्न रहते हैं। परिवार और संबंधों के प्रति समर्पण, बड़ों का आदर जैसे मूल्य तो परिवार और समाज से प्रत्येक बालक ग्रहण कर ही लेता था, लेकिन बदलते समय के साथ यह सारी सीख हाशिये पर चली गई। आज तो विडंबना यह है कि नियमों के उल्लंघन में पढ़े-लिखे और अनपढ़ों में कोई अंतर नहीं दिखता। इस विडंबना का कारण नैतिक और मूल्यपरक शिक्षा का अभाव है। 1976 में संविधान में मूल कर्तव्यों को उल्लिखित करते हुए अनुच्छेद 51ए जोड़ा गया। दुर्भाग्य से उसका अपेक्षित प्रभाव न तो व्यवस्था पर पड़ा न ही सामान्य जन पर। यदि व्यवस्था पर पड़ता तो अमृतसर हादसा नहीं होता। यदि सामान्य जन पर पड़ता तो लोग रेल पटरियों पर खड़े होकर अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालते।

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आत्मविश्वास

आत्मविश्वास के बल पर हम वह सब कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। मैं अच्छा आदमी तभी बन सकता हूं यदि मुझमें आत्मविश्वास है। आशावादी दृष्टिकोण है। सकारात्मक सोच है। उत्साही मन है। ऊर्जस्वल पराक्रम है। मैं दुख में से सुख खोज लेना चाहता हूं और ऐसा सोचते हुए, आत्मविश्वास से भरकर सचमुच सुख खोज लेता हूं। ऐसा नहीं है कि आज का आदमी समय के साथ चलना न चाहे, बुरे आचरण छोड़कर अच्छी जिंदगी का सपना न देखे, बुराई को बुराई समझने के लिए तैयार न हो। सोचना यह है कि हम गहरे में जमे संस्कारों को कैसे सुधारें? जड़ तक कैसे पहुंचे? पतझड़ में फूल पत्ते सभी झड़ जाते हैं मगर वृक्ष कभी इस वियोग पर शोक नहीं करता। उसके पास जड़ की सत्ता सुरक्षित है जिससे वसंत आने पर पुनः वृक्ष फूल पत्तों से लहलहा उठता है।

आज हमें भी आत्मविश्वास को मुकाम तक पहुंचाने के लिए मूल्यों को स्वयं में सहेजना होगा, बाहरी अवधारणाओं को बदलना होगा, जीने की दिशा को मोड़ देना होगा। तभी बंधन ढीले पड़ेंगे और निर्माण का रास्ता साफ-सुथरा बन पाएगा। अंधेरा तभी तक डरावना है जब तक हाथ दीये की बाती तक न पहुंचे। आप एकदम से अपने आत्मविश्वास को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने आप को अपना भविष्य निर्माता मानिए और फिर कार्य की शुरुआत कर दीजिए। अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। सोचिए कि आज से एक वर्ष बाद, दो वर्ष बाद या पांच वर्ष बाद आप कहां पहुंचना चाहते हैं जहां आपको मनचाही सफलता और जिंदगी हासिल हो।

आपको यह मानना होगा कि आप बदल सकते हैं और उस बदलाव के लिए आपके भीतर पर्याप्त आत्मशक्ति है। एक चीनी कहावत है कि महापुरुषों में आत्मविश्वास होता है और दुर्बलों की केवल इच्छाएं। महापुरुषों का जीवन आत्मविश्वास और आस्था की धुरी पर चलता है। वे अपने जीवन के प्रांगण में सद्संकल्पों की अल्पनाएं सजाते हैं और आस्था के नए-नए स्वास्तिक रचते रहते हैं। महात्मा गांधी हों या विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती हों या आचार्य तुलसी-इन सबकी सफलताओं का राज यही रहा है कि उनका हर प्रयास भीतरी आत्मविश्वास के साथ होता था।

ललित गर्ग

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

भावनात्मक है एकता का आधार

सुधांशु त्रिवेदी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान आहत करने की होड़ शीर्षक से लिखा आलेख देश के अत्याचारी इतिहास की उचित व्याख्या कर कांग्रेस के राष्ट्रीय तत्वों से अंजान परिदृश्य को बखूबी प्रस्तुत करता है। आज वोटबैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस के नेता शायद यह भूल गए हैं कि भारत की एकता का आधार खान-पान, वेशभूषा और बोलचाल नहीं अपितु भारत की एकता का आधार भावनात्मक है। दुनिया में गुट निरपेक्षता के पैरोकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और अनेकता में एकता के आधार सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व राष्ट्रीय एकता से लवरेज था। जिन्होंने भारतीय जनमानस को आज भी अपनी भावनात्मक एकता की छवि से प्रेरित किया है। और भारतीयों को एकजुटता का एक ऐसा अद्भुत मंत्र दिया है जो शायद पाकिस्तान में इतनी विविधता के बावजूद सफलता के शिखर को नहीं छू पाता। गौरतलब हो कि भारत से पाकिस्तान बनने का आधार सांस्कृतिक नहीं, भावनात्मक अलगाव और सियासी प्रभाव था। पाकिस्तान पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र है इसके बावजूद भी उससे बांग्लादेश राष्ट्र का उदय हुआ। व्यक्तिगत तौर पर भी जब दिलों से दिलों का मिलन होता है तभी हम अनेकता में एकता की राह पर कदम बढ़ाते हैं। भारत वह देश है जहां प्रकृति कदम-कदम पर अपना मिजाज बदल लेती है, लेकिन भारत की मिट्टी की खुशबू आज भी हमें एकता का गहरा संदेश देती है। भारत में वसुधैव कुटुंबकम की संज्ञा दी जाती है। वहीं पाकिस्तान द्वारा दुनिया को नेस्तनाबूद करने की हरदम कोशिश की जाती है। भारत के दिल में दया है। इसीलिए पाकिस्तान को लाख गलतियों के बावजूद माफ करता आया है।

पिंटू सक्सेना, लखनऊ

ढोंगी साधुओं से सावधान

भारतीय समाज में साधु-संतो का स्थान काफी ऊंचा है। लोग इनसे जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में संतो का चोला ओढ़े ढोंगी साधुओं के जो कारनामे सामने आए हैं उनको देख सिर शर्म से झुक जाता है। इससे इनके प्रति आस्था रखने वालों की भावना को ठेस पहुंचती है। ऐसे साधुओं की पहचान करना मुश्किल होता है। लोगों को खुद सावधानी बरतनी चाहिए। इनसे बचने का और कोई रास्ता नहीं है।

युधिष्ठिर लाल कक्कड़, गुरुग्राम

कम होगा प्रदूषण

देश में अगर सबसे ज्यादा प्रदूषण की स्थिति खराब है तो वह है दिल्ली- एनसीआर का इलाका। यहां दीपावली के पहले से ही सांस लेना दूभर हो जाता है। इन तेज आवाज के पटाखों से बीमार लोग, छोटे बच्चे, पशु-पक्षी तक परेशान हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीमकोर्ट ने पटाखा फोड़ने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। इस तरह कम समय मिलने के कारण लोग कम ही पटाखे चलाएंगे, जब पटाखे कम चलेंगे तो प्रदूषण भी कम होगा।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

स्कूली स्तर पर राजनीति

दिल्ली के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा के सरकारी स्कूलों का दौरा व छात्रों से सवाल- जबाब एक सियासी कदम भर था, क्योंकि हरियाणा में आज शिक्षा का स्तर नई उंचाईयो को छू रहा है और धीरे- धीरे शिक्षा का हब बनता जा रहा है। आज हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आइएएस बन रहे हैं और देश की राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलो में जा कर दिल्ली माडल दिखा कर सस्ती राजनीति से बचना चाहिए।

दीपक गौतम, सोनीपत

पटाखों पर कोर्ट का उचित निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पूर्व प्रदूषण के मद्देनजर पटाखों की बिक्री पर सशर्त अनुमति देकर सराहनीय कार्य किया है। रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने और पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर सतत निगरानी रखने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में ही लिए जाने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि हम परंपरा के नाम पर उसके मनमाने उपयोग से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के बारे में सोचें। समय के अनुसार हमें अपने लिए ऐसे नियम खुद निर्धारित करने चाहिए कि परंपरा और त्योहार का उल्लास भी बना रहे और किसी के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर न पड़े। कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की तरह से इसे प्रचारित कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। सर्वोच्च संस्था की गरिमा और दिशा निर्देश के अनुरूप आचरण करना चाहिए, तभी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा व समाज में सुव्यवस्था कायम रह पाएगी। दिवाली के आसपास दिल्ली तथा कई अन्य नगरों महानगरों की हवा इतनी प्रदूषित हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एहतियातन ये निर्देश जारी किए हैं जो उचित है। joshi.devendra85@gmail.com

फैसला उचित

देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष दिवाली के के अवसर पर पटाखा जलाने पर संपूर्ण भारत में प्रतिबंध लगा दिया था। इसका समाज के कुछ लोगों ने विरोध किया था। इस बार उच्चतम न्यायालय ने एक सीमित दायरे में रहकर आतिशबाजी करने के लिए दिशा- निर्देश जारी किया है। यह फैसला सही है। इससे परंपरा का भी निर्वाह हो जाएगा और प्रदूषण पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। विजय कुमार धनिया, नई दिल्ली

ट्वीट-ट्वीट

मानवाधिकार। उस बच्ची का जो दुनिया में आ रही थी और पिता सीने पर गोलियां झेलते हुए शहीद हो गए। मानवाधिकार उस पिता का जो अपनी बेटी को एक नजर देख नहीं पाए। मानवाधिकार उस मां का जिसने जन्म देते ही बेटी का जीवन देश को समर्पित कर दिया। श्वेता सिंह@SwetaSinghAT

जब सीबीआइ निदेशक के रूप में आलोक वर्मा की नियुक्ति हो रही थी तब प्रशांत भूषण ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि मोदी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उन्हें नियुक्त कर रहे हैं। अब उन्हें छुट्टी पर भेजा जा रहा है तो भूषण कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। अंकुर सिंह@iAnkurSingh

विराट